[2018] 10 एस. सी. आर. 261

गुवाहाटी उच्च न्यायालय के माध्यम से

पंजीयक सामान्य

वी.

गोटो ई. टी. ई. और अन्य

(2018 की सिविल अपील संख्या 4298)

अप्रैल 23,2018

[ए. के. सिकरी और अशोक भूषण, जे. जे.]

न्यायिक सेवा-अरुणाचल प्रदेश न्यायिक सेवा नियम,

2006- प्रोविसो से आर। 7 - नियमितीकरण पर विचार

-

उत्तरदाता सं। 1 3 को अनुबंध के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की शक्तियों के साथ अतिरिक्त उपायुक्तों के रूप में नियुक्त किया गया था-वे फास्ट ट्रैक अदालतों (एफटीसी) के उत्तरदाताओं को नियुक्त करने के लिए थे, जिन्होंने उक्त पदों पर नियमितीकरण के लिए दावा किया था और आर के प्रावधानों को लागू करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों के रूप में काम करना था। 7 तथापि, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की समिति ने प्रत्यर्थियों के दावे को खारिज कर दिया-इसके बाद, उच्च न्यायालय ने जिला और सत्र न्यायाधीश के पद के लिए 31.07.2008 पर विज्ञापन जारी किया, जिसमें प्रत्यर्थी Nos.2 और 3 उपस्थित हुए लेकिन अर्हता प्राप्त नहीं कर सके और प्रत्यर्थी नं। 1 उपस्थित नहीं हुए-उच्च न्यायालय ने चयन प्रक्रिया शुरू करने के लिए 31.07.2012 पर निर्णय लिया

बृज मोहन लाल (2) मामले के संदर्भ में एफ. टी. सी. न्यायाधीशों की-कोई भी उत्तरदाता परीक्षा उत्तीर्ण करने में सक्षम नहीं था, परिणामस्वरूप उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया-उत्तरदाताओं द्वारा दायर लिखित याचिका

- उच्च न्यायालय ने तदर्थ सेवाओं के वितरण के आदेश को रद्द कर दिया

उत्तरदाताओं और राज्य को उत्तरदाताओं के अवशोषण के लिए परामर्श प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की समिति की राय थी कि प्रतिवादी उच्च न्यायिक सेवा के नियमित संवर्ग में नियुक्ति के हकदार नहीं थे-उक्त आदेश को रिट याचिकाकर्ताओं/प्रतिवादियों द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी-अन्यथा भी, इस तरह के निर्णय

समिति के दो उत्तरदाता जो दिनांक 1 के विज्ञापन के माध्यम से परीक्षा में उपस्थित हुए थे, चयन प्रक्रिया में अर्हता प्राप्त करने में विफल रहे और अन्य उत्तरदाता उपस्थित नहीं हुए, और आगे सभी उत्तरदाता एक

अन्य परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने में विफल रहे जो बृज मोहन लाल (2) मामले के अनुसार आयोजित की गई थी-इस तथ्य ने उत्तरदाताओं की अक्षमता की ओर इशारा किया

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आर. 7 2006 के नियम केवल उत्तरदाताओं के मामलों को अवशोषित करने के लिए 'विचार' करने के लिए प्रदान किए गए थे विचार किया गया, लेकिन उन्हें नियमित संवर्ग में अवशोषण के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया-परंतुक ने कभी भी ऐसा कोई आदेश नहीं दिया कि उत्तरदाताओं को अनिवार्य रूप से अवशोषित किया जाए।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 यह कहा गया है कि रिट याचिकाकर्ताओं के सेवा रिकॉर्ड की जांच उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की समिति द्वारा की गई थी और उक्त जांच पर समिति की राय थी कि रिट याचिकाकर्ता उच्च न्यायिक सेवा के नियमित संवर्ग में नियुक्ति के हकदार नहीं थे। रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा उनके मामलों पर विचार करने और खारिज करने के तरीके को या इस तरह के विचार को किसी भी प्रकार के दोष से पीड़ित होने को कोई चुनौती नहीं दी गई थी। अन्यथा भी, समिति के इस तरह के निर्णय की पुष्टि की जाती है क्योंकिः

(i) दो रिट याचिकाकर्ता जो ग्रेड-I जिले के पद के लिए एक विज्ञापन के अनुसार परीक्षा में उपस्थित हुए और

सत्र न्यायाधीश चयन प्रक्रिया में अर्हता प्राप्त करने में विफल रहे और तीसरा रिट याचिकाकर्ता बिल्कुल भी उपस्थित नहीं हुआ; और

(ii) याचिकाकर्ता उस परीक्षा को उत्तीर्ण करने में भी विफल रहे जो बृज मोहन लाल (2) के अनुसार आयोजित की गई थी जिसमें रिट

याचिकाकर्ता उपस्थित हुए थे। इस तथ्य को केवल इंगित करने के लिए नोट किया गया है

रिट याचिकाकर्ताओं की अक्षमता। [पैरा 30] [287-जी-एच; 288 ए-सी]

1.2 इस न्यायालय द्वारा महेश चंद्र वर्मा के मामले में बृज मोहन लाल (2) के अनुपात पर विस्तार से चर्चा की गई है और वहाँ

कैडर केवल लिखित परीक्षा के आधार पर बनाया जाना चाहिए आदि जैसा कि बृज मोहन लाल (2) में निर्धारित किया गया है। [पैरा 31] [288-डी-ई]

2.1 अरुणाचल प्रदेश न्यायिक सेवा नियम, 2006 के नियम 7 के प्रावधान के संदर्भ में भी, रिट याचिकाकर्ताओं के मामले

उन पर विचार किया गया, लेकिन उन्हें नियमित संवर्ग में अवशोषण के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया। [पैरा 31] [288-ई-एफ]

2.2 2006 के नियमों का नियम 7, जो प्रक्रिया को निर्धारित करता है

और अतिरिक्त सत्रों के पद पर भर्ती की विधि गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने सामान्य पंजीकरण के माध्यम से

v.

गोटो ई. टी. ई. और ओ. आर. एस.

17 , 2007 विज्ञापन दिए गए थे, दो रिट याचिकाकर्ता उपस्थित हुए लेकिन उक्त चयन प्रक्रिया में अर्हता प्राप्त करने में विफल रहे जबकि तीसरा रिट याचिकाकर्ता बिल्कुल भी उपस्थित नहीं हुआ। नियम 7 के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह रिट याचिकाकर्ताओं के लिए तैयार किया गया था। हालांकि, यह परंतुक केवल यह सुझाव देता है कि तीन तदर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों के मामले, जो कोई और नहीं बल्कि तीन रिट याचिकाकर्ता थे, को सेवा के ग्रेड-I में शामिल करने के लिए 'विचार किया जा सकता है'। इस प्रश्न में जाने की आवश्यकता नहीं है कि क्या 'मे' शब्द का अर्थ यह होगा कि यह पूरी तरह से उच्च न्यायालय के विवेकाधिकार के भीतर था कि वह रिट याचिकाकर्ताओं के मामलों को अवशोषित करने के लिए विचार करे या नहीं या क्या इस शब्द को 'विल' के रूप में पढ़ा जाना चाहिए जिससे यह अभिनिर्धारित किया जा सके कि उच्च न्यायालय की ओर से कम से कम रिट याचिकाकर्ताओं के मामलों को अवशोषित करने के लिए विचार करना अनिवार्य था। इसका कारण यह है कि वास्तव में रिट याचिकाकर्ताओं के मामलों पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया गया था और वास्तव में, यह परंतुक के पीछे का इरादा प्रतीत होता है। हालांकि, प्रावधान केवल रिट याचिकाकर्ता के मामलों को अवशोषित करने के लिए 'विचार' करने के लिए प्रदान किया गया है। परंतुक ने कभी भी ऐसा कोई आदेश नहीं दिया कि रिट याचिकाकर्ताओं को अनिवार्य रूप से अवशोषित किया जाना चाहिए। इस प्रकार, केवल विचार का अधिकार था। कोई स्वचालित अवशोषण नहीं था। अगर यही इरादा होता, तो परंतुक को अलग तरीके से लिखा जाता। [पैरा 26] [284-ई-एच; 285-ए-बी]

अन्य वी। उड़ीसा राज्य और अन्य (2008) 6 एस. सी. सी. 731: [2008] 9 एस. सी. आर. 1126; बृज मोहन लाल (2) बनाम। संघ का भारत और अन्य (2012) 6 एससीसी 502: [2012]

5 एससीआर 305; सरगुजा परिवहन सेवा बनाम। राज्य परिवहन अपील न्यायाधिकरण, एम. पी., ग्वालियर और अन्य (1987) 1 एस. सी. सी. 5: [1987] 1 एससीआर 200; महेश चंद्र वर्मा और अन्य बनाम। झारखंड राज्य और अन्य

(2012) 11 एससीसी 656: [2012] 9 एस. सी. आर. 6; राजेंद्र सिंह वर्मा (मृत) एल. आर. एस. के माध्यम से। और अन्य वी। उपराज्यपाल (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) और अन्य (2011) 10 एस. सी. सी. 1: [2011] 12 एस. सी. आर. 496; अजीत कुमार बनाम। झारखंड राज्य [2018] 10 एस. सी.

और अन्य (2011) 11 एससीसी 458 [2011] 3 एससीआर 830;

चंद्रमौलेश्वर प्रसाद बनाम। पटना उच्च न्यायालय और

अन्य (1969) 3 एस. सी. सी. 56: [1970] 2 एससीआर 666; उच्च

पंजाब और हरियाणा का न्यायालय और अन्य बनाम। की स्थिति

हरियाणा और अन्य (1975) 1 एस. सी. सी. 843: [1975] 3 एससीआर 365 - संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2002] 3 एससीआर 810

पै

रा 9

संदर्भित किया गया है

[2008] 9 एससीआर 1126

पै

रा 9

संदर्भित किया गया है

[2012] 5 एससीआर 305

पै

रा 9

संदर्भित किया गया है

[1987] 1 एससीआर 200

पै

रा 22

संदर्भित किया गया है

[2012] 9 एससीआर 6

संदर्भित किया गया है

पै

रा 22

[2011] 12 एससीआर 496

पै

रा 27

संदर्भित किया गया है

[2011] 3 एससीआर 830

संदर्भित किया गया है

पै

रा 27

[1970] 2 एससीआर 666

संदर्भित किया गया है

पै

रा 28

[1975] 3 एससीआर 365

संदर्भित किया गया है

पै

रा 28

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 42

2018 का

उच्च निगम के 19.01.2016 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2013 की रिट याचिका संख्या 776 में गुवाहाटी की।

विजय हंसारिया, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री स्नेहा कालिता, अवनीश पांडे, विज्ञापन

अपीलार्थी के लिए।

विकास सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री नंदा देवी डेका, सुश्री प्रियंका डी.

सुश्री दीपिका कालिया, देवेश कुमार त्रिपाठी, अनिल श्रीवास्तव, रितु विश्वास, सुश्री पूर्णिमा जौहरी, सुश्री सीमा पी., प्रकाश कुमार सिंग एडवस। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ए. के. सिकरी, जे. 1. छुट्टी दे दी गई। 2. 13 जुलाई, 2001 को जारी विज्ञापन के अनुसार

अरुणाचल प्रदेश सरकार, प्रत्यर्थी सं। 1 (इसके बाद 'रिट याचिकाकर्ताओं' के रूप में संदर्भित) को नियुक्त किया गया था

अतिरिक्त सेसी गौहाटी उच्च न्यायालय की शक्तियों वाले अतिरिक्त उपायुक्त, सामान्य पंजीकरण के माध्यम से।

गोटो ई. टी. ई. और ओ. आर. एस. [ए. के. सिकरी, जे.]

न्यायाधीश, अनुबंध के आधार पर, इस शर्त के साथ कि उनके अनुबंध की अवधि 31 मार्च, 2005 तक है। उन्हें फास्ट ट्रैक कोर्ट (संक्षेप में, 'एफटीसी') का संचालन करना था। इस अनुबंध की अवधि को पांच साल की और अवधि के लिए यानी 31 मार्च, 2010 तक बढ़ा दिया गया था। इन प्रत्यर्थियों ने अरुणाचल प्रदेश न्यायिक सेवा नियम, 2006 के नियम 7 के प्रावधानों को लागू करते हुए उक्त पदों को नियमित करने और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों के रूप में काम करने की अनुमति देने के लिए अपने दावे किए। इस संबंध में एक लंबा मुकदमा चला है, जैसा कि इसके बाद प्रासंगिक स्तर पर देखा जाएगा। इस मोड़ पर, उस पृष्ठभूमि का वर्णन करते हुए जिसमें मामला इस न्यायालय में आया है, हम केवल यह उल्लेख कर सकते हैं कि नियमित आधार पर नियुक्ति के अनुरोध को उच्च न्यायालय (इसमें अपीलार्थी) और प्रतिवादी संख्या की सेवाओं द्वारा खारिज कर दिया गया था। 1 3 को छोड़ दिया गया था

7 जनवरी, 2013 को। इस समाप्ति को रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा 2013 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 776 दायर करके चुनौती दी गई थी। इस रिट याचिका की कार्यवाही उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित 19 जनवरी, 2016 के फैसले में समाप्त हो गई है। इस निर्णय के माध्यम से रिट याचिका की अनुमति दी गई है, जिससे आदेश को रद्द कर दिया गया है

रिट याचिकाकर्ताओं की तदर्थ सेवाओं को आगे के निर्देश के साथ वितरित करना कि राज्य/प्रतिवादी संख्या 4 (इसके बाद 'राज्य सरकार' के रूप में संदर्भित) को इसके अवशोषण के लिए परामर्श प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए।

7 जनवरी, 2013 से अरुणाचल प्रदेश न्यायिक सेवा के ग्रेड-1 में रिट याचिकाकर्ताओं ने अपीलार्थी यानी गुवाहाटी उच्च न्यायालय (जिसे इसके बाद 'उच्च न्यायालय' के रूप में संदर्भित किया गया है) को उक्त निर्णय में की गई टिप्पणियों के आलोक में रिट याचिकाकर्ताओं के मामलों पर विचार करने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय इन निर्देशों से व्यथित महसूस करता है और यही फैसले को चुनौती देने का कारण है

दिनांक 19 जनवरी, 2016। इस विशेष अनुमति याचिका में नोटिस 08 अगस्त, 2016 को जारी किया गया था और साथ ही इस अदालत ने विवादित फैसले पर रोक लगा दी थी। परिणाम यह है कि रिट याचिकाकर्ताओं को सेवा में वापस नहीं लिया गया है।

इस पृष्ठभूमि के साथ, अब हम कुछ में तथ्यात्मक मैट्रिक्स बताते हैं

विवरण। 3. अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा 13 जुलाई, 2001 को एक विज्ञापन जारी किया गया था जिसमें आवेदन आमंत्रित किए गए थे।

31 मार्च, 2005 तक की अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की शक्तियों के साथ अतिरिक्त उपायुक्तों के तीन पद। इसके अनुसार, 04 जून, 2002 को उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिकाकर्ताओं का चयन उपरोक्त पदों के लिए किया गया था। राज्य सरकार [2018] 10 एस. सी. आर.

31 मार्च, 2005 तक अनुबंध के आधार पर उपरोक्त पद के लिए उनके पक्ष में नियुक्ति आदेश जारी किए। बाद में इस कार्यकाल को और पांच साल के लिए यानी 31 मार्च, 2010 तक बढ़ा दिया गया। इसका उद्देश्य फास्ट ट्रैक अदालतों में अधिकारियों की नियुक्ति करना था।

4. यह बताना प्रासंगिक है कि उस समय कोई अलगाव नहीं था

अरुणाचल प्रदेश राज्य में न्यायिक शाखा से कार्यकारी शाखा। हालाँकि, यह घोषणा करके पूरा किया गया था

अरुणाचल प्रदेश न्यायिक सेवा नियम, 2006 (इसके बाद '2006 नियम' के रूप में संदर्भित), जिन्हें 06 दिसंबर, 2006 को अधिसूचित किया गया था। 2006 के नियमों का नियम 7 भर्ती की विधि से संबंधित है और इसके प्रासंगिक हिस्से को निम्नलिखित तरीके से जोड़ा गया हैः

आयु सीमा। के
कॉलम (2) में निर्दिष्ट पदों की प्रत्येक श्रेणी के संबंध में

नीचे दी गई तालिका, भर्ती की विधि और न्यूनतम

योग्यता, आयु सीमा आदि संबंधित प्रविष्टियों में निर्दिष्ट हैं।

इसके कॉलम (3) और (4) में।
बशर्ते कि 3 (तीन) तदर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जो

सरकार द्वारा परामर्श से चुना और नियुक्त किया गया था

अनुबंध के आधार पर 3 (तीन) फास्ट ट्रैक न्यायालयों में से केंद्र सरकार की विशिष्ट योजना और तब से

गुवाहाटी के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के तहत सेवाएं प्रदान करना

उच्च न्यायालय, के ग्रेड-I में अवशोषण के लिए विचार किया जा सकता है

सेवा।

XX "

XX

XX

5. 13 दिसंबर, 2007 को एक अभ्यावेदन किया गया था

उत्तरदाता सं। 1 और 2, अन्य बातों के साथ-साथ, 2006 के नियमों के नियम 7 के अनुसार नियमित सेवा में शामिल होने के लिए। जबकि यह अभ्यावेदन लंबित था, राज्य सरकार ने दिनांकित अधिसूचना जारी

की 17 दिसंबर, 2007 को जिला और सत्र न्यायाधीशों के दो न्यायालयों की स्थापना की गई। इसके बाद, 25 फरवरी, 2008 को राज्य सरकार ने नियम 7 के प्रावधान के तहत उच्च न्यायालय को जिला और सत्र न्यायाधीश, ग्रेड-I के दो नव सृजित पदों के खिलाफ रिट याचिकाकर्ताओं को एफटीसी न्यायाधीशों के रूप में शामिल करने पर विचार करने के लिए एक प्रस्ताव दिया। 28 मार्च, 2008 को उच्च न्यायालय के महापंजीयक ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के समक्ष एक टिप्पणी प्रस्तुत की।

गोटो ई. टी. ई. और ओ. आर. एस. [ए. के. सिकरी, जे.]

राज्य सरकार के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की समिति। समिति ने पूरी सामग्री पर विचार करने के बाद 9 मई, 2008 को अवशोषण के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने नियमित सेवा में अपने समावेशन पर पुनर्विचार के लिए 12 जून, 2008 को एक और अभ्यावेदन दिया।

2006 के नियमों के नियम 7 के संदर्भ में विशेष मामला। इस अभ्यावेदन को भी समिति ने 25 जून, 2008 को 9 मई, 2008 के अपने पहले के प्रस्ताव को दोहराते हुए खारिज कर दिया। 6. इसके बाद 31 जुलाई, 2008 को उच्च न्यायालय ने जिला और सत्र न्यायाधीश के दो पदों को भरने के लिए एक और विज्ञापन जारी किया।

ग्रेड-I, जिसे 17 दिसंबर, 2007 की अधिसूचना के माध्यम से बनाया गया था। उत्तरदाता सं। 2 और 3 परीक्षा में उपस्थित हुए लेकिन चयन प्रक्रिया में अर्हता प्राप्त नहीं कर सके। उत्तरदाता संख्या 1, हालांकि आवेदन किया था, परीक्षा में उपस्थित नहीं हुआ। इसके बजाय, 30 मार्च, 2010 की अधिसूचना के माध्यम से, दो अन्य उम्मीदवारों का चयन किया गया और उन्हें अधिसूचित किया गया। पद.

7. प्रत्यर्थी संख्या 1 ने रिट याचिका दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया

(सिविल) भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत 2008 का सं. 401,2006 के नियमों के नियम 7 के प्रावधान के संदर्भ में अवशोषण की मांग करता है। 15 सितंबर, 2008 को इस न्यायालय ने उक्त रिट याचिका में नोटिस जारी किया। दलीलें पूरी होने के बाद मामले को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया। उस स्तर पर, 24 मार्च, 2011 को, उच्च न्यायालय के महापंजीयक ने अन्य बातों के साथ-साथ एक अतिरिक्त हलफनामा दायर किया, जिसमें कहा गया था कि प्रतिवादी सं. 1 और 2 पर दो बार विचार किया गया

(क्रमशः 09 मई, 2008 और 25 जून, 2008 को) नियम 7 के उपरोक्त प्रावधान के तहत, और उन्हें अवशोषित नहीं करने का निर्णय लिया गया था। इसके बावजूद, राज्य सरकार ने 07 अप्रैल, 2011 को उच्च न्यायालय में नियुक्ति के लिए रिट याचिकाकर्ताओं के नामों की सिफारिश की है। जो भी हो, 09 मई, 2011 को इस न्यायालय ने 2008 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 401 को वापस लिए जाने के रूप में खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय में एक नई रिट याचिका दायर करके उसी मुद्दे पर आंदोलन करने के लिए कोई स्वतंत्रता नहीं मांगी गई और/या प्रदान नहीं की गई।

8. जब बात उस पर टिकी तो राज्य सरकार ने राज्य में एफ. टी. सी. न्यायाधीशों के कार्यकाल को पांच वर्षों के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी।

दिनांक 19 मई, 2011 के आदेशों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2015 तक के वर्ष। इसके कुछ महीने बाद, यानी 3 नवंबर, 2011 को अरुणाचल प्रदेश राज्य के राज्यपाल ने उच्च न्यायालय के परामर्श से तीन एफ. टी. सी. को अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीशों, ग्रेड-I के नियमित न्यायालयों में परिवर्तित कर दिया।

8] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

9. भारत संघ ने एक नीति तैयार की थी, जिसे एफ. टी. सी. योजना कहा गया था। इस एफ. टी. सी. योजना का मुख्य उद्देश्य था -

संबंधित न्यायालयों में लंबित आपराधिक मामलों को कम करना। एफ. टी. सी. योजना के अनुमानित लाभ, जैसा कि अनुमान लगाया गया था, थे-त्वरित

विचारण, जिला न्यायालयों में विचाराधीनता का उन्मूलन, विचाराधीन खर्चों की भारी बचत आदि। यद्यपि एफ. टी. सी. योजना को पाँच वर्ष की एक निश्चित अवधि के लिए माना गया था, लेकिन इसे बढ़ाया गया और बृज मोहन लाल (1) v. मामले में इस न्यायालय के फैसले के तहत लागू रहा। भारत संघ और अन्य 1 और निर्देश मधुमिता दास और अन्य बनाम में पारित किए गए। उड़ीसा राज्य और अन्य 2. सी. बी. आई. मामलों सहित कुछ प्रकार के मामलों के त्वरित निपटान के लिए एफ. टी. सी. का काम करने के लिए कई न्यायिक अधिकारियों को नियुक्त किया गया था और यह इस न्यायालय द्वारा बृज मोहन लाल (1) मामले में दिए गए निर्देशों पर किया गया था। मुख्य न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन द्वारा की गई सिफारिशों पर, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 07 अप्रैल, 2005 के अपने निर्णय के माध्यम से केंद्रीय वित्त पोषण के साथ एफटीसी योजना को और पांच साल की अवधि के लिए बढ़ा दिया। एफ. टी. सी. योजना को फिर से केंद्र सरकार के निर्णय द्वारा 31 मार्च, 2011 तक बढ़ा दिया गया था, लेकिन उसके बाद भारत संघ ने एफ. टी. सी. योजना के वित्तपोषण को 31 मार्च, 2011 से आगे नहीं बढ़ाने का एक सचेत निर्णय लिया था। भारत संघ द्वारा एफ. टी. सी. योजना को बंद करने के बावजूद, कुछ राज्यों ने उक्त योजना को जारी रखने का फैसला किया। जो भी हो, पर

संघ और अन्य राज्यों द्वारा एफ. टी. सी. योजना को छोड़ते हुए, एफ. टी. सी. योजना के तहत नियुक्त किए गए न्यायिक अधिकारियों ने व्यथित महसूस किया और इसके परिणामस्वरूप इस न्यायालय में उनकी सेवाओं को नियमित करने और नियमित संवर्ग में आने वाली रिक्तियों के खिलाफ अवशोषण की मांग करने वाली विभिन्न याचिकाएं दायर की गईं। इस न्यायालय द्वारा 18 अप्रैल, 2012 को बृज मोहन लाल (2) बनाम में दिए गए निर्णय के माध्यम से विवाद को अंततः समाप्त कर दिया गया था। भारत संघ और अन्य 3. 10. इस अदालत ने बृज मोहन लाल (2) मामले में, अन्य बातों के साथ-साथ निर्देश दिया कि एफ. टी. सी. में सभी सीधी भर्तियां, जो नियमित करने का विकल्प चुनते हैं, उन्हें लिखित रूप में आवेदन करना होगा।

उच्च न्यायालयों द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा, उसके बाद साक्षात्कार, और जो उक्त चयन प्रक्रिया में सफल होते हैं, वे उच्च न्यायिक सेवा के नियमित संवर्ग में नियुक्ति के हकदार होंगे। चूँकि इस मामले में दिए गए निर्णय का इस मुद्दे पर कुछ असर पड़ता है कि

1 1 (2002) 5 एससीसी 1

2 (2008) 6 एस. सी. सी. 731

3 3 (2012) 6 एस. सी. सी. 502 ई. गौहाटी उच्च न्यायालय के माध्यम से पंजीकरण सामान्य बनाम। गोटो ई. टी. ई. और ओ. आर. एस. [ए. के. सिकरी, जे.]

इस न्यायालय द्वारा तत्काल अपील में, हम उक्त निर्णय के कुछ प्रासंगिक पहलुओं को यहाँ प्रस्तुत करते हैंः

" 160. इन याचिकाकर्ताओं ने गुजरात नियमों के नियम 4 और 6 को भी चुनौती दी है, जिसके तहत उन्हें नियुक्त किया गया था।

यह आधार कि वे मनमाने और भेदभावपूर्ण हैं। सबसे पहले, वे नियम जिनके तहत याचिकाकर्ताओं को 2001 के बाद नियुक्त किया गया था, केवल 31-12-2005 तक ही लागू होने वाले थे। 2005 तक किसी भी नियुक्त व्यक्ति ने इन नियमों को चुनौती नहीं दी थी। इन चार वर्षों के लिए, उन्होंने वास्तव में इन नियमों के तहत अपनी नियुक्ति का पूरा लाभ उठाया और इसके तहत विभिन्न सेवा लाभ प्राप्त किए। हम इस तर्क की सराहना करने में असमर्थ हैं कि ये नियम मनमाने या भेदभावपूर्ण थे।

161. ये नियम स्वयं अस्थायी थे और आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए बनाए गए थे। नियुक्तियाँ विशुद्ध रूप से तदर्थ और तत्काल अस्थायी आधार पर दो की अवधि के लिए की गई थीं।

वर्ष, बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त करने योग्य। एक अस्थायी

नियुक्ति, जो स्वयं दो वर्ष की अवधि के लिए की गई थी, इसे शायद ही कार्यकाल नियुक्ति के बराबर माना जा सकता है और इसका अर्थ ऐसी शर्तों पर लगाया जाना चाहिए। ये नियुक्तियाँ समय के साथ समाप्त होने वाली थीं। इस तरह की नियुक्ति स्पष्ट रूप से नियुक्त व्यक्तियों को स्थायी संवर्ग में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं दे सकती है या उन्हें कोई अधिकार प्रदान नहीं कर सकती है, क्योंकि उनकी नियुक्ति निम्नलिखित के अनुसार नहीं की गई थीः

गुजरात न्यायिक सेवा भर्ती नियमों के प्रावधान,

1961 .

162. "बिना किसी सूचना के किसी भी समय समाप्त करने के लिए उत्तरदायी" अभिव्यक्ति आपत्तियों के लिए अतिसंवेदनशील हो सकती है यदि इसका उपयोग किसी राज्य के अर्ध-स्थायी या स्थायी कर्मचारी के मामले में किया गया था।

सरकारी कर्मचारी (sic)। हालांकि, हम पहले ही देख चुके हैं कि एफटीसी के तहत कोई स्थायी पद पर विचार नहीं किया गया था

योजना। पूरी एफ. टी. सी. योजना तदर्थ थी और केवल वर्ष 2005 तक संचालित करने के लिए तैयार की गई थी। इस न्यायालय के निर्देशों के अनुसार इसे उस अवधि के बाद भी जारी रखा गया था, लेकिन अब एफटीसी योजना को आगे भी जारी नहीं रखने का निर्णय लिया गया है।

31-3-2011 . 163. भले ही तर्क के लिए, हम इस तर्क को स्वीकार करते हैं कि "बिना किसी सूचना के किसी भी समय समाप्त होने के लिए उत्तरदायी" अभिव्यक्ति मनमाना है और कानून के मूल नियम के खिलाफ है, फिर भी यह [2018] 10 एस. सी. आर.

परशोतम लाल ढींगरा में निर्धारित दोहरे परीक्षणों को पूरा करना है अर्थात सबसे पहले, क्या सरकारी कर्मचारी को बर्खास्त किया जा रहा है या नहीं।

इस प्रकार पद में कमी आने पर, जैसा भी मामला हो, पद या पद का अधिकार था और दूसरी बात यह कि क्या उसे बुरे परिणामों के साथ देखा गया था। इन दोनों परीक्षणों का उत्तर देना होगा

वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में नकारात्मक।

164. हम पहले ही यह मान चुके हैं कि इन अधिकारियों को अपने पदों पर कोई अधिकार नहीं था और परिणामस्वरूप, उनकी सेवाओं को बंद कर दिया गया था

वर्तमान मामले के तथ्यों में दंडात्मक या दीवानी परिणामों के साथ याचिकाकर्ताओं का दौरा करने के रूप में नहीं माना जा सकता है। यह सच है, हालांकि कुछ मामलों में, यह दर्ज किया गया है कि

इन नियुक्तियों का प्रदर्शन असंतोषजनक पाया गया

लेकिन उनकी सेवाओं को देने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया एकमात्र कारण यह नहीं है। एफ. टी. सी. योजना को बंद करना ही इन सभी अधिकारियों की सेवाओं को समाप्त करने का प्रमुख कारण है।

XX

XX

XX

176. हम पहले ही देख चुके हैं कि एफटीसी न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी

राज्य उच्च न्यायिक सेवाओं में नियमित नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले नियमों की तुलना में नियमों के एक अलग समूह के तहत। यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि ऐसी नियुक्तियां तदर्थ और अस्थायी होंगी और नियुक्तियों को ऐसी नियुक्तियों से कोई लाभ नहीं मिलेगा। 177. राजस्थान राज्य के मामले में, सिविल जज, वरिष्ठ प्रभाग के संवर्ग के न्यायिक अधिकारियों को पदोन्नत किया गया था।

एफ. टी. सी. न्यायाधीशों के रूप में। वे काफी समय तक उन पदों पर बने रहे हैं। इन याचिकाकर्ताओं के अनुसार, उन्हें नियमों के अनुसार उच्च न्यायिक सेवाओं में पदोन्नत किया गया था और इसलिए, मधुमिता दास में इस न्यायालय के आदेश के साथ-साथ एफटीसी योजना के सार को ध्यान में रखते हुए, उन्हें राजस्थान राज्य की उच्च न्यायिक सेवाओं के नियमित संवर्ग के सदस्यों के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। राज्य सरकार ने एक निर्देश जारी किया था कि उन्हें उच्च संवर्ग में अपनी नियमित पदोन्नति/अवशोषण के लिए सीमित प्रतियोगी परीक्षा लेनी चाहिए। इन अधिकारियों ने इस निर्देश की शुद्धता पर इस आधार पर सवाल उठाया कि उन्हें अतिरिक्त सत्रों के रूप में पदोन्नत किया गया था

न्यायाधीश (एफ. टी. सी.) नियमों के तहत और इसलिए, सामान्य पंजीकरण के माध्यम से कोई ई गौहाटी उच्च न्यायालय नहीं था।

गोटो ई. टी. ई. और ओ. आर. एस. [ए. के. सिकरी, जे.]

उच्च न्यायिक सेवाओं में लंबे वर्षों की सेवा के बाद उनके लिए कोई लिखित परीक्षा देने की कोई और आवश्यकता का प्रश्न।

178. राज्य की उच्च न्यायिक सेवाओं में नियुक्ति के लिए राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 लागू हैं। द.

अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ में इस न्यायालय का निर्णय। (3) मामले के साथ-साथ प्रासंगिक नियमों में यह विचार किया गया है कि एक व्यक्ति जिसे होना है

उच्च न्यायिक सेवाओं में सीधे नियुक्त होने से पहले उन्हें लिखित परीक्षा से गुजरना पड़ता है और उक्त संवर्ग में नियुक्त होने से पहले एक साक्षात्कार में उपस्थित होना पड़ता है। जहां तक पदोन्नति द्वारा नियुक्ति का संबंध है, पदोन्नति दो अलग-अलग तरीकों से की जा सकती है अर्थात वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर या बारी के बाहर पदोन्नति के माध्यम से जिसमें कोई सिविल न्यायाधीश, वरिष्ठ प्रभाग जिसने नियुक्ति की है।

पाँच साल की सेवा में एक प्रतिस्पर्धी लेने की आवश्यकता है परीक्षा और फिर उपलब्ध रिक्तियों के 25 प्रतिशत तक, ऐसे न्यायाधीशों को उच्च न्यायिक सेवाओं में पदोन्नत किया जाएगा।

179. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान वकील ने हमारे समक्ष यह स्वीकार किया कि जिन अधिकारियों को तदर्थ एफटीसी न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत किया गया था, उन्होंने उच्च न्यायिक के तहत इस पद पर पदोन्नति से पहले कोई लिखित प्रतियोगी परीक्षा नहीं दी थी।

सेवाएँ। दूसरे शब्दों में, उन्हें एफटीसी में रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर तदर्थ आधार पर पदोन्नत किया गया था। एक बार जब नियमों में उच्च न्यायिक सेवाओं के नियमित पदों पर पदोन्नति के लिए एक विशेष प्रक्रिया को अपनाने की आवश्यकता होती है, तो सक्षम प्राधिकारी केवल उस प्रक्रिया द्वारा पदोन्नति को प्रभावित कर सकता है और कोई अन्य नहीं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इन अधिकारियों ने कोई लिखित परीक्षा नहीं दी है, हम इस बात का कोई कारण नहीं देखते हैं कि इन न्यायिक अधिकारियों द्वारा जारी किए गए निर्देश को कैसे चुनौती दी गई लिखित परीक्षा आयोजित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाए रखा जा सकता है। इस प्रकार, प्रार्थना की गई राहत को पूरी तरह से प्रदान नहीं किया जा सकता है।

180. पंजाब और हरियाणा राज्यों के मामले में, नियुक्त लोगों को बार से सीधी भर्ती के माध्यम से सीधे एफ. टी. सी. न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्होंने नियमितीकरण के लिए प्रार्थना की। उनकी सेवाओं और नियमित संवर्ग में अवशोषण के साथ-साथ उनके अवशोषण तक एफटीसी योजना को जारी रखने के लिए।

सी. आर. के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ऊपर उल्लिखित अन्य राज्यों के संबंध में हमारे द्वारा पहले से दर्ज किए गए कारणों से, हमें नहीं लगता कि इन याचिकाकर्ताओं को नियमित करने/अवशोषण की राहत दी जा सकती है, जिस तरह से उन्होंने अनुरोध किया है। उन्हें भी इस पद पर कोई अधिकार नहीं है। मान लीजिए, इन उम्मीदवारों ने कोई लिखित प्रतियोगी परीक्षा भी उत्तीर्ण नहीं की थी

परीक्षा और पूरी तरह से एक साक्षात्कार के आधार पर नियुक्त किया गया था और अब आवश्यक परीक्षा से गुजरना होगा।

XX

XX

XX

207. सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय में हस्तक्षेप करने के किसी भी इरादे के बिना, लेकिन निर्विवाद रूप से, संविधान के अनुच्छेद 21 की गारंटी की रक्षा के लिए, न्याय वितरण में सुधार के लिए।

संवैधानिक लक्ष्यों की प्राप्ति के साथ-साथ पूर्ण न्याय सुनिश्चित करते हुए न्यायपालिका की प्रणाली और स्वतंत्रता को मजबूत करना।

संविधान के अनुच्छेद 142 के संदर्भ में, हम निम्नलिखित आदेश और निर्देश पारित करते हैं:

XX

XX

XX

207.9 एफ. टी. सी. योजना के तहत एफ. टी. सी. की अध्यक्षता करने के लिए बार से न्यायाधीशों के रूप में सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त किए गए सभी व्यक्ति केवल निम्नलिखित तरीके से संबंधित राज्यों की उच्च न्यायिक सेवाओं के नियमित संवर्ग में नियुक्त होने के हकदार होंगे:

(क) एफ. टी. सी. में सीधी भर्ती जो नियमित करने का विकल्प चुनते हैं, उच्च न्यायालयों द्वारा आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा लें

संबंधित राज्यों की अपनी उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए

अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के नियमित संवर्ग में अवशोषण।
(ख) इसके बाद, उन्हें एक साक्षात्कार के अधीन किया जाएगा

मुख्य न्यायाधीश और चार न्यायाधीशों वाली चयन समिति

उस उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश।

(ग) लिखित परीक्षा के लिए 150 अंक होंगे और

100 साक्षात्कार के लिए अंक। योग्यता अंक होंगे

40 % सामान्य उम्मीदवारों के लिए कुल और एससी/एसटी/के लिए 35 प्रतिशत

ओ. बी. सी उम्मीदवार। परीक्षा और साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा।

राज्यों द्वारा अधिनियमित सुसंगत नियमों के अनुसार उच्च न्यायिक सेवाओं में सीधी नियुक्ति के लिए।

गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने सामान्य पंजीकरण के माध्यम से v. गोटो ई. टी. ई. और ओ. आर. एस. [ए. के. सिकरी, जे.]

(घ) प्रत्येक नियुक्त व्यक्ति प्रति अंक एक अंक का हकदार होगा।

एफ. टी. सी. में सेवा का वर्ष, जो इसका हिस्सा होगा

(ई) यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि यह परीक्षा और साक्षात्कार संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा संचालित किया जाना चाहिए

ध्यान रखें कि इन सभी आवेदकों ने कई वर्षों में

एफ. टी. सी. न्यायाधीशों और प्रशासन द्वारा देश की सेवा की है

कानून के अनुसार न्याय। लिखित परीक्षा और

इस प्रकार, साक्षात्कार मॉड्यूल को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाना चाहिए

इन मामलों के विशिष्ट तथ्य और परिस्थितियाँ।

पूर्वनिर्धारित समेकित प्रतिशत प्राप्त करना होगा नियमित रूप से अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त

राज्य का कैडर।

(छ) यदि, किसी भी कारण से, नियमित संवर्ग में रिक्तियां उपलब्ध नहीं हैं, तो हम एतद्वारा राज्य सरकारों को ऐसे पद बनाने का निर्देश देते हैं।

अतिरिक्त रिक्तियां जो आवश्यक हो सकती हैं

चयनित उम्मीदवारों की संख्या।

(ज) सभी वर्तमान और/या पूर्व एफ. टी. सी. न्यायाधीश जो सीधे थे।

बार से नियुक्त होते हैं और लेने के इच्छुक होते हैं

नियमित नियुक्ति के लिए परीक्षा और साक्षात्कार दिया जाएगा। आयु में छूट। किसी भी आवेदन को आधार पर खारिज नहीं किया जाएगा।

आवेदक की आयु निर्धारित आयु से अधिक होना।

XX "

XX

XX

11. वर्तमान मामले में विकास की ओर लौटते हुए, यह हो सकता है

उन्होंने कहा कि हालांकि नियमित आधार पर अवशोषण के लिए रिट याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन को पहले दो बार खारिज कर दिया गया था, फिर भी उच्च न्यायालय ने 31 जुलाई, 2012 को एफटीसी न्यायाधीशों की चयन प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया। बृज मोहन लाल (2) में इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के संदर्भ में। तदनुसार, लिखित परीक्षा आयोजित की गई जिसमें रिट याचिकाकर्ता उपस्थित हुए। ये रिट याचिकाकर्ता उक्त परीक्षा में आवश्यक 35 प्रतिशत के योग्यता अंकों के मुकाबले क्रमशः केवल 22.33%, 33.66% और 25 प्रतिशत अंक प्राप्त कर सके। इस तरह, इनमें से कोई भी रिट याचिकाकर्ता ऐसा नहीं कर सका

इस परीक्षा में उत्तीर्ण हों। गुणवत्ता में उनकी विफलता पर, उच्च न्यायालय ने 07 जनवरी, 2013 के आदेशों के माध्यम से उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया। इसके तीन दिनों के भीतर, यानी 10 जनवरी, 2013 को, उच्च न्यायालय ने [2018] 10 एस. सी. आर. के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करते हुए एक विज्ञापन जारी किया।

अरुणाचल के ग्रेड-I संवर्ग में तीन रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रदेश न्यायिक सेवा का गठन 3 नवंबर, 2011 को किया गया था।

12. रिट याचिकाकर्ताओं ने दिनांकित आदेश को चुनौती देते हुए 05 फरवरी, 2013 को उच्च न्यायालय में 2013 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 776 दायर की।

7 जनवरी, 2013 को उनकी सेवाओं का वितरण। 10 जनवरी, 2013 को जारी विज्ञापन की वैधता को भी चुनौती दी गई थी और 2006 के नियमों के नियम 7 के प्रावधान के आधार पर इसे शामिल करने का दावा किया गया था। इस बीच, उपरोक्त विज्ञापन के अनुसार 23 मार्च, 2013 को लिखित परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें सात उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 60 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 50 प्रतिशत से अधिक कट-ऑफ अंक प्राप्त करने के लिए पात्र पाया गया। रिट याचिकाकर्ताओं में से कोई भी उक्त परीक्षा में उपस्थित नहीं हुआ। मौखिक साक्षात्कार

उच्च न्यायालय के चार वर्तमान न्यायाधीशों (मुख्य न्यायाधीश सहित) और प्रत्यर्थी संख्या के नामों द्वारा 9 अप्रैल, 2013 को योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई थी। 6 उनकी योग्यता के परिणामस्वरूप 8 की सिफारिश की गई थी।

13. स्थगन आवेदन के साथ रिट याचिका 11 अप्रैल, 2013 को अदालत के समक्ष सूचीबद्ध की गई थी, जब उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने इसे स्वीकार कर लिया था। हालाँकि, चूंकि कोई अंतरिम राहत नहीं मांगी गई थी, इसलिए ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया। उस तारीख को, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या के नामों की नियुक्ति के लिए सिफारिश की। 6 8 को लिखित और मौखिक परीक्षा दोनों में चुना गया है। ठीक एक महीने बाद, यानी 11 मई, 2013 को, राज्य सरकार ने अरुणाचल प्रदेश न्यायिक सेवा के ग्रेड-I में और तीन पदों का सृजन किया। उच्च न्यायालय की 11 अप्रैल, 2013 की सिफारिश के अनुसार, प्रतिवादी सं। 6 राज्य सरकार द्वारा 2006 के नियमों के तहत 8 को ग्रेड-I अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया गया था। रिट याचिकाकर्ताओं ने मांग की

प्रत्यर्थी की नियुक्ति को चुनौती देकर रिट याचिका में संशोधन

नं. 6 8 तक। 13 अगस्त, 2013 को उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाकर्ताओं को प्रत्यर्थी संख्या के पक्ष में 11 अप्रैल, 2013 के नियुक्ति आदेश को चुनौती देकर रिट याचिका में संशोधन करने की अनुमति दी। 6 8 तक।

14. उक्त रिट याचिका पर सुनवाई के बाद, 19 जनवरी, 2016 के विवादित फैसले के माध्यम से, उच्च न्यायालय ने दावा की गई राहत को स्वीकार कर लिया है

उसमें और अरुणाचल प्रदेश राज्य में एफ. टी. सी. के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में रिट याचिकाकर्ताओं की तदर्थ सेवाओं को वितरित करने वाले 07 जनवरी, 2013 के आदेश को रद्द कर दिया। इसने राज्य सरकार को इसके अवशोषण के लिए परामर्श प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है।

अरुणाचल प्रदेश न्यायिक सेवा के ग्रेड-I में रिट याचिकाकर्ता गौहाटी उच्च न्यायालय के माध्यम से पंजीकरण सामान्य v।

गोटो ई. टी. ई. और ओ. आर. एस. [ए. के. सिकरी, जे.]

07 जनवरी, 2013 से प्रभावी और उच्च न्यायालय को विवादित फैसले में की गई टिप्पणियों के आलोक में उनके अवशोषण पर विचार करने का निर्देश दिया।

15. उच्च न्यायालय के विवादित फैसले के अवलोकन से पता चलता है कि इसने निर्धारण के लिए निम्नलिखित प्रश्न उठाया जो उत्पन्न हुआ

उक्त रिट याचिका में:

" क्या याचिकाकर्ताओं की तदर्थ सेवाओं को नियमित किया जा सकता है

अरुणाचल प्रदेश न्यायिक सेवा नियम, 2006 (संक्षेप में "नियम") के नियम 7 के प्रावधान के अनुसार?

1 अप्रैल, 2010 को दस साल की और अवधि के लिए और इसे राज्य सरकार द्वारा 19 मई, 2011 को अपने संचार के माध्यम से पांच साल की अवधि यानी 31 मार्च, 2015 तक के लिए मंजूरी दी गई थी। इस बीच, 2006 के नियम लागू हुए, जिसमें, अन्य बातों के अलावा, ग्रेड I सेवा में अवशोषण के लिए रिट याचिकाकर्ताओं के विचार के लिए नियम 7 का प्रावधान था। राज्य सरकार ने 25 फरवरी, 2008 के पत्र के माध्यम से राज्य न्यायिक सेवा में ग्रेड-I के नव सृजित पदों के खिलाफ रिट याचिकाकर्ताओं को 2006 के नियमों के नियम 7 के उपरोक्त प्रावधान को लागू करके यह इंगित करने का प्रस्ताव किया कि उन्हें नियुक्त किया गया था। उच्च न्यायालय के परामर्श से उचित चयन के बाद और उच्च न्यायालय के नियंत्रण और पर्यवेक्षण में काम कर रहे थे। इस प्रस्ताव को उच्च न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया था। इसके बाद राज्य सरकार के मुख्य सचिव ने 25 अगस्त, 2008 को एक और पत्र भेजकर उच्च न्यायालय से रिट याचिकाकर्ताओं को उनके प्रदर्शन, सत्यनिष्ठा आदि के आधार पर 2006 के नियमों के नियम 7 के प्रावधान के संदर्भ में शामिल करने का अनुरोध किया। हालांकि, इस प्रस्ताव को एक बार फिर उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इसके बाद, रिट याचिकाकर्ताओं ने तदर्थ एफ. टी. सी. के पद को अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश की नियमित अदालतों में बदलने के लिए राज्य सरकार से संपर्क किया। इस अनुरोध को राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया और एफ. टी. सी. को नियमित अदालतों में बदलने का निर्णय लिया गया। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के साथ उनके पदाधिकारी, यानी रिट याचिकाकर्ताओं, और उन्हें उच्च न्यायालय को भेज दिया गया था। यहाँ तक कि इस संबंध में 3 नवंबर, 2011 की अधिसूचना भी जारी की गई थी। 17. घटनाओं के उपरोक्त कालक्रम पर ध्यान देने के बाद, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने कहा है कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए

विकास, रिट याचिकाकर्ताओं को नियमित किया जाना चाहिए था। हालाँकि, रिट याचिकाकर्ताओं के मामलों को अवशोषित करने के लिए विचार करने के बजाय, उच्च न्यायालय ने बृज मोहन लाल (2) मामले में निर्णय के संदर्भ में लिखित और मौखिक परीक्षण आयोजित करने का निर्णय लिया। रिट याचिकाकर्ता उपस्थित हुए, लेकिन असफल रहे। उच्च न्यायालय की खंड पीठ के अनुसार, इस तरह का परीक्षण करने का कोई कारण नहीं था क्योंकि मामले की जांच 2006 के नियमों के नियम 7 के प्रावधान के संदर्भ में की जानी थी, जो प्रावधान रिट याचिकाकर्ताओं के लिए पूरी तरह से तैयार किया गया था। डिवीजन बेंच ने आगे राय दी है कि रिट याचिकाकर्ताओं के मामले को नियम 7 के रूप में विशिष्ट नियम को ध्यान में रखते हुए बृज मोहन लाल (2) में इस अदालत द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर नहीं देखा जा सकता है, जैसा कि निम्नलिखित चर्चा से देखा जा सकता हैः

" 13. इस बात में कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ताओं की सेवाओं का वितरण करना उनकी ओर से सेवा में उनके अवशोषण के लिए परीक्षा में न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त करने में विफलता का तत्काल परिणाम है। निस्संदेह, अरुणाचल प्रदेश राज्य की न्यायिक सेवा अब गुवाहाटी उच्च न्यायालय के नियंत्रण और पर्यवेक्षण में है; उच्च न्यायालय के पास यह तय करने का निस्संदेह अधिकार है कि राज्य सरकार द्वारा याचिकाकर्ताओं की तदर्थ सेवाओं के विस्तार की शर्तों के बावजूद याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को जारी रखा जाना चाहिए या नहीं। हालाँकि, इस मामले में, नियमों के नियम 7 के प्रावधान के संदर्भ में अरुणाचल प्रदेश न्यायिक सेवा नियमों में ग्रेड I के पदों में याचिकाकर्ताओं की सेवाओं के अवशोषण का सवाल महत्वपूर्ण है। सवाल यह है कि क्या बृज मोहन लाल मामले (उपरोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को समग्र रूप से पढ़ने का मतलब यह समझा जा सकता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रकृति के बावजूद किसी भी प्रकार के अवशोषण को प्रतिबंधित किया गया है। कानून अच्छी तरह से स्थापित है।

गौहाटी उच्च न्यायालय का एक निर्णय, सामान्य पंजीकरण के माध्यम से v. गोटो ई. टी. ई. और ओ. आर. एस. [ए. के. सिकरी, जे.]

इसे यूक्लिड के प्रमेय की तरह नहीं पढ़ा जा सकता है और इसे उस संदर्भ में पढ़ना होगा जिसमें यह तय किया गया था। वर्तमान मामले में, इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं को पदों के विज्ञापन के बाद अनुबंध के आधार पर नियुक्तियां दी गई थीं, और वे उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित चयन प्रक्रिया से गुजरे थे। बृज मोहन लाल मामले (उपरोक्त) में, शीर्ष न्यायालय ने स्पष्ट रूप से पिछले दरवाजे से नियुक्ति और लिखित प्रतियोगी परीक्षा के बाद की गई नियुक्ति को अलग किया।

18. इसके बाद, उच्च न्यायालय ने पंजाब और पंजाब सहित विभिन्न राज्यों द्वारा एफ. टी. सी. में की गई नियुक्तियों की प्रकृति पर चर्चा की।

हरियाणा, और पाया कि उन मामलों में व्यक्तियों को किसी भी लिखित परीक्षा के माध्यम से न्यायिक अधिकारियों के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था, बल्कि केवल एक साक्षात्कार के आधार पर नियुक्त किया गया था। इसके विपरीत, जहाँ तक इन व्यक्तियों का संबंध है

संबंधित हैं, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने निर्णय दिया है कि तत्काल मामले में, रिट याचिकाकर्ताओं ने स्वीकार किया था और राज्य सरकार द्वारा किए गए विज्ञापन के आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा और साक्षात्कार में उनका चयन किया गया था। उनकी नियुक्तियां भी उच्च न्यायालय की मंजूरी के बाद की गई थीं। इसलिए, रिट याचिकाकर्ताओं को तदर्थ न्यायाधीशों के रूप में सेवा के लगभग 10 साल या उससे अधिक समय बाद लिखित और मौखिक परीक्षण से गुजरना पड़ा, जिनके खिलाफ यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं था कि वे अपने न्यायिक कार्यों के निर्वहन में अक्षम या भ्रष्ट थे।

19. उपरोक्त कारणों को बताते हुए, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने निम्नलिखित शर्तों में रिट याचिका को मंजूरी दी हैः

" 16. पूर्वगामी में जो कहा गया है, उसके लिए यह रिट याचिका है -

(क) राज्य-उत्तरदाताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे तुरंत शुरू करें अरुणाचल प्रदेश न्यायिक सेवा के ग्रेड-I में याचिकाकर्ताओं के समावेशन के लिए परामर्श प्रक्रिया

7-1-2013 .

(ख) राज्य सरकार से समावेशन के प्रस्ताव की प्राप्ति पर, उच्च न्यायालय पूर्वगामी में हमारे द्वारा की गई टिप्पणियों के आलोक में याचिकाकर्ताओं के समावेशन के अनुमोदन के लिए विचार करेगा।

(ग) यदि और जब अरुणाचल प्रदेश न्यायिक सेवा के ग्रेड-I में याचिकाकर्ताओं का समावेशन किया जाता है, तो वे परेशान नहीं करेंगे। निजी उत्तरदाताओं की वरिष्ठता।

(ई) इस निर्णय की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर राज्य उत्तरदाताओं और उच्च न्यायालय दोनों द्वारा पूरी कवायद पूरी की जाएगी। (च) पक्षों को उनके संबंधित खर्चों को वहन करने का निर्देश दिया जाता है।

20. अदालत की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री विजय हंसारिया ने उपरोक्त तर्क की शुद्धता पर सवाल उठाया और कहा कि कुछ स्पष्ट पहलुओं को नजरअंदाज कर दिया गया है और इन पहलुओं को उचित महत्व नहीं दिया गया है जो इस तर्क को बदलने के लिए पर्याप्त हैं।

उच्च न्यायालय के पक्ष में और रिट याचिकाकर्ताओं के खिलाफ। उन्होंने मामले के निम्नलिखित पहलुओं पर प्रकाश डालाः

(क) इन सभी रिट याचिकाकर्ताओं को एक विशिष्ट अवधि के लिए तदर्थ और अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया था, वह भी एफटीसी में, जो

योजना अपने आप में अस्थायी प्रकृति की थी। इस तरह की नियुक्ति, सामान्य रूप से, रिट को कोई कानूनी अधिकार प्रदान नहीं करेगी। याचिकाकर्ता नियमित नियुक्ति की मांग करें।

(ख) रिट याचिकाकर्ताओं की संविदात्मक नियुक्ति के समय

राज्य की कार्यपालिका और न्यायिक शाखा के बीच कोई विभाजन नहीं था। यह अलगाव वर्ष 2006 में अरुणाचल प्रदेश सेवा नियम, 2006 की घोषणा के साथ लागू हुआ। इन नियमों के नियम 7 में भर्ती आदि की विधि प्रदान की गई है। प्रोविसो केवल एक सक्षम प्रावधान था जो देता था

उच्च न्यायालय को रिट याचिकाकर्ताओं पर विचार करने का विवेकाधिकार

सेवा के ग्रेड-I में अवशोषण। यह तर्क दिया गया था कि 'विचार किया जा सकता है' शब्द स्पष्ट रूप से सुझाव देते हैं कि यदि इन तीनों रिट याचिकाकर्ताओं को केवल विचार करने का अधिकार था, लेकिन कोई अधिकार नहीं था

नियमित संवर्ग में रिट याचिकाकर्ता। (घ) तब भी जब जिला और सत्र न्यायाधीश (ग्रेड-I) के दो पदों के लिए विज्ञापन दिसंबर की अधिसूचना के माध्यम से बनाया गया था

17 , 2009 और रिट याचिकाकर्ताओं में से दो (प्रतिवादी संख्या।

2 और 3 गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने सामान्य पंजीकरण के माध्यम से v. गोटो ई. टी. ई. और ओ. आर. एस. [ए. के. सिकरी, जे.]

इसमें) परीक्षा में उपस्थित हुए, उन्होंने चयन प्रक्रिया में अर्हता प्राप्त नहीं की। उत्तरदाता संख्या 1 परीक्षा में उपस्थित भी नहीं हुए। विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार, यह दर्शाता है कि उनके पास पर्याप्त क्षमता नहीं थी और इसलिए वे विफल रहे।

परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए।

(ङ) बृज मोहन लाल (2) कानून निर्धारित करते हैं और उस प्रक्रिया को निर्दिष्ट करते हैं जिसका पालन एफ. टी. सी. में नियुक्त लोगों को नियमित करने के लिए किया जाना चाहिए। इसके अनुसार, उच्च न्यायालय द्वारा लिखित परीक्षा आयोजित करने के बाद ही नियमित किया जा सकता है और उसके बाद साक्षात्कार होता है और पदधारी/उम्मीदवार उक्त चयन प्रक्रिया में सफल होते हैं। इस फैसले के बाद, यह प्रक्रिया शुरू की गई जिसमें तीनों रिट याचिकाकर्ता उपस्थित हुए, लेकिन फिर से 35 प्रतिशत के योग्यता अंक प्राप्त करने में विफल रहे।

21. उपरोक्त तथ्यों को उजागर करते हुए, यह प्रस्तुत किया गया कि रिट याचिकाकर्ताओं के मामलों पर 2006 के नियम 7 के तहत विचार किया गया था।

इस आधार पर जैसे कि नियम 7 के परंतुक में अनिवार्य रूप से उच्च न्यायालय से इन रिट याचिकाकर्ताओं को नियमित संवर्ग में शामिल करने की आवश्यकता है, चाहे वे इसके लिए उपयुक्त हों या नहीं। 2006 के नियमों के नियम 7 के प्रावधान का इरादा ऐसा नहीं था। 22. श्री हंसारिया ने रिट याचिका की स्थिरता पर भी सवाल उठाया, जहां तक प्रतिवादी संख्या 1 का संबंध प्रस्तुत करने से है।

कि उन्होंने पहले इस न्यायालय में याचिका दायर की थी जिसे उन्होंने पूर्ण पैमाने पर सुनवाई के बाद वापस ले लिया था और उक्त रिट याचिकाकर्ता को एक और रिट याचिका दायर करने की कोई स्वतंत्रता नहीं दी गई थी। इसलिए, उच्च न्यायालय में इस रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिका को, जैसा कि सरगुजा परिवहन सेवा बनाम में अभिनिर्धारित किया गया था, न्यायिक निर्णय के सिद्धांतों द्वारा वर्जित किया गया था। राज्य परिवहन

अपीलीय न्यायाधिकरण, एम. पी., ग्वालियर और अन्य। उन्होंने महेश चंद्र वर्मा के मामले में इस अदालत के फैसले पर भी भरोसा किया।

और अन्य वी। झारखंड राज्य और अन्य, जो फिर से मामला है

एफ. टी. सी. में अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त लोगों को सीधे बार से नियमित करने से संबंधित। उस मामले में न्यायालय ने अनियमित और अवैध नियुक्तियों के बीच अंतर किया था और आगे प्रकृति के अनुसार

4 (1987) 1 एससीसी 5 5 (2012) 11 एससीसी 656 [2018] 10 एस. सी. आर.

यदि अनुमत हो तो नियुक्तियों में ऐसी नियुक्तियों को नियमित करने का तरीका निर्धारित किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि बृज मोहल लाल (2) ने विशेष रूप से ध्यान दिया और यह स्पष्ट किया गया कि निर्देश

उक्त निर्णय में भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग किया गया था, जैसा कि देखा जा सकता है

तीखी चर्चाः

" 53. बृज मोहन लाल (2) मामले में, इस न्यायालय ने पूरे मामले पर अपने उचित परिप्रेक्ष्य में विचार करने के बाद यह निर्णय दिया है कि एफ. टी. सी. के न्यायाधीश पूर्व संवर्ग के पद पर थे। हम अब स्थिर स्थिति को फिर से नहीं खोल सकते हैं। इसलिए, इस संबंध में उद्धृत कुछ निर्णयों पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, उनका इस मामले में कोई आवेदन नहीं है। यह तर्क दिया गया कि कुछ सहायक लोक अभियोजकों को एफटीसी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया गया था। यह भी आग्रह किया गया कि आयु मानदंड का पालन नहीं किया जाए। हम उन प्रस्तुतियों में जाने का प्रस्ताव नहीं करते हैं क्योंकि उस मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में, बृज मोहन लाल (2) में, इस न्यायालय ने न्याय वितरण प्रणाली में सुधार करने, संवैधानिक लक्ष्यों को प्राप्त करने और पूर्ण न्याय करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के संदर्भ में कुछ निर्देश दिए हैं। निर्देशों में से एक अपीलार्थियों के नियमितीकरण से संबंधित है

जिस तरह से उसमें निर्धारित किया गया है। यह मानना असंभव है कि अपीलार्थी '

मामला उक्त निर्णय द्वारा शासित नहीं है। 54. वास्तव में, अपीलकर्ताओं ने अपनी लंबे समय से चली आ रही सेवाओं को एफ. टी. सी. न्यायाधीशों के रूप में संदर्भित किया है। उन्होंने बार में अपना अभ्यास छोड़ दिया है। उनमें से कुछ उम्र-वर्जित हो गए हैं। इस निवेदन के समर्थन में हमारे सामने कुछ निर्णयों का हवाला दिया गया है कि इन तथ्यों पर विचार करने की आवश्यकता है और उन्हें नियमित सेवाओं में शामिल किया जाना चाहिए। बृज मोहन लाल (2) इस शिकायत पर विचार करते हैं। इसलिए, इस बिंदु पर उद्धृत मामलों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है।

55. हमने बार-बार बृज मोहन लाल (1) और बृज मोहन लाल (2) का उल्लेख किया है। अब यह देखना आवश्यक है कि वे क्या निर्धारित करते हैं। ग्यारहवें वित्त आयोग ने इस उद्देश्य के लिए धन आवंटित किया लंबे समय से लंबित मामलों से निपटने के लिए विभिन्न राज्यों में 1734 न्यायालयों की स्थापना करना। वित्त आयोग ने सुझाव दिया कि राज्य एक सीमित अवधि के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पुनर्नियुक्ति पर विचार कर सकते हैं क्योंकि इन न्यायालयों को इस अर्थ में तदर्थ न्यायालय होना था कि वे मौजूदा न्यायालयों के लिए एक स्थायी जोड़ नहीं होंगे। फास्ट ट्रैक अदालत योजना को विभिन्न आधारों पर चुनौती दी गई थी। उक्त चुनौती को इस न्यायालय द्वारा बृज मोहन ई गौहाटी उच्च न्यायालय में पंजीकृत सामान्य बनाम के माध्यम से निपटाया गया था।

गोटो ई. टी. ई. और ओ. आर. एस. [ए. के. सिकरी, जे.]

लाल (1)। इस न्यायालय ने एफ. टी. सी. की स्थापना और कार्यप्रणाली के संबंध में कई निर्देश जारी किए। यह स्पष्ट किया गया था कि नियुक्तियाँ करते समय, बार से सीधी भर्तियों को तीसरी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस संबंध में निम्नलिखित निर्देश सामग्री हैः (बृज मोहन लाल (1) मामला, एस. सी. सी. पी. 8 , पैरा 10)

" 10. ..... (4) इन न्यायालयों में सीधी नियुक्ति के लिए बार के सदस्यों को तीसरी प्राथमिकता दी जाएगी। उन्हें अधिमानतः 35-45 वर्ष के आयु वर्ग में होना चाहिए, ताकि वे फास्ट ट्रैक अदालतों के काम करना बंद करने पर नियमित पदों पर बने रहने की इच्छा रख सकें। सेवा में उनके बने रहने के सवाल की उच्च न्यायालय द्वारा उनके प्रदर्शन के आधार पर समय-समय पर समीक्षा की जाएगी। यदि बाद में भर्ती होती है और फास्ट ट्रैक अदालतों में उनका प्रदर्शन संतोषजनक पाया जाता है, तो उन्हें नियमित रिक्तियों में शामिल किया जा सकता है। प्रारंभिक चयन के लिए, उच्च न्यायालय चयन के ऐसे तरीकों को अपनाएगा जो आमतौर पर उच्च/उच्च न्यायिक के लिए सीधी भर्ती के रूप में बार के सदस्यों के चयन के लिए अपनाए जाते हैं।

सेवाएँ "।

56. फास्ट ट्रैक कोर्ट योजना 31-3-2011 तक चल रही थी। लेकिन इसके बाद भारत संघ ने फास्ट ट्रैक कोर्ट योजना के वित्तपोषण को 31-3-2011 से आगे जारी नहीं रखने का निर्णय लिया। कुछ राज्यों ने फास्ट ट्रैक कोर्ट योजना को जारी रखने का फैसला किया और कुछ राज्यों ने इसे जारी नहीं रखने का फैसला किया। इसके बाद अन्य बातों के साथ-साथ कई रिट याचिकाएं दायर की गईं जिनमें अनुरोध किया गया कि प्रत्यर्थियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट योजना का विस्तार करने और उस उद्देश्य के लिए आवश्यक धन जारी करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए जाएं। कुछ याचिकाकर्ता जो सीधे भर्ती किए गए थे, उन्होंने नियमित संवर्ग में शामिल होने का दावा किया।

57. याचिकाओं में उठाए गए बिंदुओं पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने बृज मोहन लाल (2) मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट योजना के इतिहास का पता लगाया। इस न्यायालय ने प्रत्यक्ष भर्तियों की नियुक्ति करने वाले विभिन्न राज्यों द्वारा जारी अधिसूचनाओं, विभिन्न राज्यों के प्रासंगिक नियमों पर विचार किया और एफ. टी. सी. में नियुक्ति के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उक्त पद अस्थायी थे और नियुक्तियों को पदों पर कोई कानूनी अधिकार नहीं कहा जा सकता है। यह देखा गया कि नियुक्तियां नियमित नियमों को नियंत्रित करने वाले नियमों की तुलना में नियमों के अलग सेट के तहत शासित होती थीं।

राज्य उच्च न्यायिक सेवाओं में नियुक्तियाँ।

यह देखा गया कि नियुक्ति अधिसूचनाओं का संचयी प्रभाव

त्वरित न्यायालय योजना के तहत उक्त पदों के लिए याचिकाकर्ता और उन्हें नियंत्रित करने वाले प्रासंगिक नियम स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं कि वे अस्थायी थे और कुछ मामलों में, समयबद्ध नियुक्तियां भी बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती थीं और इसलिए, इस तर्क को स्वीकार करना मुश्किल है कि नियुक्त व्यक्ति उन पदों पर नियमित रूप से शामिल होने के हकदार थे। यह देखा गया कि जहां न तो पद स्वीकृत है और न ही यह स्थायी है और वास्तव में, पूरी व्यवस्था तदर्थ है या अनिश्चित अवधि के लिए है,

स्थायी कर्मचारियों के समान नियुक्त व्यक्तियों के पक्ष में कोई अधिकार और दायित्व नहीं बना सकते हैं।

23. जहां तक मामले का संबंध है, यह देखने के बाद कि बिंदु अनियमित प्रकृति के थे, न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय पारित किएः

" 62. निर्विवाद रूप से, अपीलार्थियों को किसी भी स्थायी पद पर नियुक्त नहीं किया गया था। उनकी नियुक्ति की अधिसूचना दिनांक 12-8-2002 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उन्हें अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया था।

और तदर्थ आधार पर पूर्व संवर्ग के पद। उन्हें 2001 के नियमों के तहत नियुक्त नहीं किया गया था। उनकी नियुक्ति शीघ्रता के लिए बनाई गई एक अस्थायी योजना में एक अस्थायी उद्देश्य के लिए की गई थी।

मामलों का निपटान। इसलिए, उनके मामले को स्पष्ट रूप से बृज मोहन लाल (2) द्वारा कवर किया गया है। उसमें दिए गए निर्देश, विशेष रूप से पैरा 207.9 में निहित जो हमने ऊपर उद्धृत किए हैं, वे स्पष्ट रूप से उन पर लागू होंगे। बृज मोहन लाल (2) में, इस न्यायालय ने इस तर्क पर भी विचार किया कि सीधी भर्तियों ने सभी परीक्षण किए थे और इसलिए, उन्हें फिर से परीक्षण से नहीं गुजरना चाहिए। इस तर्क पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय ने निर्देश दिया कि उन्हें लिखित परीक्षा देनी होगी और उनका साक्षात्कार भी लिया जाना चाहिए। इस स्तर पर यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि झारखंड उच्च न्यायालय की ओर से एक बयान दिया गया है कि झारखंड राज्य द्वारा आवश्यक पदों/एफ. टी. सी. के निर्माण के अधीन, उच्च न्यायालय बृज मोहन लाल (2) में इस न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में अपीलार्थियों के मामले पर नए सिरे से विचार करेगा। उच्च न्यायालय ने इस मामले को राज्य सरकार के समक्ष भी उठाया है। पंजीयक श्री अंबुज नाथ के शपथ पत्र का प्रासंगिक भाग

(प्रशासन), झारखंड उच्च न्यायालय, को उद्धृत करने की आवश्यकता हैः

" 19. कि 13 वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य को गौहाटी उच्च न्यायालय के माध्यम से अनुरोध किया है।

गोटो ई. टी. ई. और ओ. आर. एस. [ए. के. सिकरी, जे.]

सरकार 13 वें वित्त आयोग की हॉलिडे कोर्ट/शिफ्ट कोर्ट योजना के साथ मिलकर उच्च न्यायिक सेवा कैडर में 31 वैकल्पिक अदालतों का गठन करेगी क्योंकि कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है। सुबह/शाम/शिफ्ट कोर्ट आयोजित करने के लिए अनुकूल। हालांकि, बृज मोहन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद

लाल (2) मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने 31 स्थायी अनशनों के गठन के लिए राज्य सरकार के समक्ष मामला उठाया है।

निर्देश के जवाब में बृज मोहन लाल (2) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार सुबह और शाम की पाली वाली अदालतों के साथ 31 वैकल्पिक अदालतों के बजाय ट्रैक कोर्ट और कैडर की संख्या का 10 प्रतिशत विस्तार।

दिनांकित 19-4-2012 "।

63. झारखंड राज्य को अब बृज मोहन लाल (2) में जारी निर्देशों का पालन करने के लिए कदम उठाने होंगे, यदि उसने इसका पालन नहीं किया है।

अब तक उनके साथ झारखंड राज्य और उच्च न्यायालय को यह सुनिश्चित करने के लिए समन्वय में काम करना होगा कि नियुक्त करने के निर्देश

उच्च न्यायिक सेवा में नियमित संवर्ग में अपीलार्थी हैं -

बृज मोहन लाल में निर्धारित तरीके से सख्ती से पालन किया गया

(2) . ”

उस आधार पर, यह तर्क दिया गया था कि बृज मोहन लाल (2) के संदर्भ में परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य था।

24. दूसरी ओर, इन रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री विकास सिंह ने कहा कि उच्च न्यायालय का यह मानना सही है कि 2006 के नियमों के नियम 7 का प्रावधान इन रिट याचिकाकर्ताओं के लिए तैयार किया गया था और बृज मोहन लाल (2) में निर्णय की भावना को भी ध्यान में रखा गया था। उन्होंने इस तथ्य पर बहुत जोर दिया कि राज्य सरकार ने रिट याचिकाकर्ताओं के मामले पर विचार किया था और रिट याचिकाकर्ताओं को शामिल करने के लिए दो बार उच्च न्यायालय की सिफारिश की थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने उनकी अनदेखी करने में अडिग रवैया अपनाया। सिफारिशें। उन्होंने यह भी कहा कि रिट याचिकाकर्ताओं का मामला बृज मोहन लाल (2) मामले में इस अदालत द्वारा निपटाए गए मामलों से अलग था, जबकि बृज मोहन लाल (2) मामले में इस अदालत को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा जहां उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना एफटीसी में नियुक्तियां की गईं और वे मामले इस मामले में थे।

जहां तक रिट याचिकाकर्ताओं का संबंध है, यह पिछले दरवाजे की प्रविष्टियों की प्रकृति नहीं थी। इस प्रकार, उन्होंने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने सही कहा था

बृज मोहन लाल (2) ने उपरोक्त [2018] 10 एस. सी. आर. पर विशेष रूप से ध्यान दिया।

अंतर क्योंकि रिट याचिकाकर्ताओं को उचित समय के बाद नियुक्त किया जाता है

प्रावधान। जैसा कि ऊपर देखा गया है, जब ग्रेड-I जिला और सत्र न्यायाधीशों के दो पदों को 17 दिसंबर, 2007 की अधिसूचना के माध्यम से उनके निर्माण के बाद विज्ञापित किया गया था, तो दो रिट याचिकाकर्ता उपस्थित हुए लेकिन उक्त चयन प्रक्रिया में अर्हता प्राप्त करने में विफल रहे, जबकि तीसरा रिट याचिकाकर्ता बिल्कुल भी उपस्थित नहीं हुआ। नियम 7 के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह रिट याचिकाकर्ताओं के लिए तैयार किया गया था। हालाँकि, यह प्रावधान केवल सुझाव देता है कि तीन तदर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों के मामले, जो कोई और नहीं बल्कि तीन रिट याचिकाकर्ता थे, अवशोषण के लिए 'विचार किए जा सकते हैं'

सेवा के ग्रेड-I में। इस प्रश्न में जाने की आवश्यकता नहीं है कि

क्या 'मे' शब्द का अर्थ यह होगा कि यह पूरी तरह से उच्च न्यायालय के विवेकाधिकार के भीतर था कि वह रिट याचिकाकर्ताओं के मामलों को अवशोषित करने के लिए विचार करे या नहीं या क्या इस शब्द को 'विल' के रूप में पढ़ा जाना चाहिए जिससे यह अभिनिर्धारित किया जा सके कि उच्च न्यायालय की ओर से कम से कम रिट याचिकाकर्ताओं के मामलों को अवशोषित करने के लिए विचार करना अनिवार्य था। इसका कारण यह है कि वास्तव में रिट याचिकाकर्ताओं के मामलों पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया गया था और गुवाहाटी उच्च न्यायालय में, सामान्य पंजीकरण के माध्यम से।

गोटो ई. टी. ई. और ओ. आर. एस. [ए. के. सिकरी, जे.]

भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 से 235 के अधिदेश को ध्यान में रखते हुए। इन प्रावधानों का उद्देश्य कार्यपालिका से न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। ये अनुच्छेद जिला न्यायपालिका और अधीनस्थ न्यायपालिका में भर्ती और नियुक्ति को विनियमित करने के लिए एक पूर्ण संहिता प्रदान करते हैं। यह राजेंद्र सिंह वर्मा (मृत) में एल. आर. एस. के माध्यम से आयोजित किया गया है। और अन्य वी। उपराज्यपाल (एन. सी. टी. दिल्ली) और ओथेस ने कहा कि उक्त योजना की परिकल्पना की गई है। संविधान के प्रावधान राज्य को इन अनुच्छेदों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का अतिक्रमण करने की अनुमति नहीं देते हैं। हम अजीत कुमार बनाम से चर्चा के बाद, लाभ के साथ पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं। झारखंड राज्य और

अन्य ":

" 17. यह विवादित नहीं हो सकता कि उपरोक्त अनुच्छेदों के तहत शक्ति का प्रयोग राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से किया जाना है। भारतीय संविधान की योजना के तहत उच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 234 से 236 के तहत अधीनस्थ न्यायपालिका की नियुक्ति के लिए निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त है। उच्च न्यायालय को भी देखने की शक्ति निहित है

कि न्यायपालिका की उच्च परंपराओं और मानकों को जिला न्यायपालिका को चलाने के लिए उचित व्यक्तियों के चयन द्वारा बनाए रखा जाता है। यदि कोई व्यक्ति न्यायिक सेवा का सदस्य होने के योग्य नहीं पाया जाता है या यह पाया जाता है कि उसने कोई दुराचार किया है तो वह हो सकता है

6 (2011) 10 एससीसी 1 7 (2011) 11 एससीसी 458 [2018] 10 एस. सी. आर.

उच्च न्यायालय द्वारा लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारण के लिए जांच को समाप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है और जब राज्यपाल को सिफारिश की जाती है तो वैध कारणों के लिए जांच का ऐसा वितरण, यह राज्यपाल की क्षमता के भीतर है कि वह उच्च न्यायालय की सिफारिश के संदर्भ में ऐसे आदेश जारी करे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (2) (बी) के तहत शक्ति।

28. यह चंद्रमौलेश्वर प्रसाद बनाम में भी अधिकृत रूप से आयोजित किया गया है। पटना उच्च न्यायालय और अन्य, जो अब कानून की एक तय स्थिति है, कि राज्यपाल उच्च न्यायालय के विचार प्राप्त किए बिना अपने किसी नामित व्यक्ति की नियुक्ति नहीं कर सकता है, भले ही वह उच्च न्यायालयों के नामित व्यक्ति को स्वीकार करने के लिए तैयार न हो। इसका कारण यह है कि चाहे अधीनस्थ न्यायपालिका से पदोन्नति के मामले में हो या बार से सीधी भर्ती के मामले में, उम्मीदवार के प्रदर्शन के बारे में उच्च न्यायालय को सबसे अच्छी जानकारी होगी। यह इतना संक्षिप्त रूप से उच्च न्यायालय में सामने लाया गया है

पंजाब और हरियाणा और अन्य बनाम। हरियाणा राज्य और अन्य 9 निम्नलिखित शब्दों में:

" 49. जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त या पदोन्नत व्यक्तियों की पुष्टि स्पष्ट रूप से इन कारणों से उच्च न्यायालय के नियंत्रण में है। जब व्यक्तियों को जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है या व्यक्तियों को जिला न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया जाता है नियुक्ति के साथ-साथ पदोन्नति का कार्य भी पूरा हो गया है और कुछ और करना बाकी नहीं है। परिवीक्षा अवधि के सफलतापूर्वक पूरा होने पर एक अधिकारी की पुष्टि न तो नई नियुक्ति है और न ही नियुक्ति का पूरा होना। पुष्टिकरण का ऐसा अर्थ नियुक्ति को पुष्टिकरण तक एक निरंतर प्रक्रिया बना देगा। जिला न्यायाधीशों की पुष्टि उच्च न्यायालय के नियंत्रण में निहित है क्योंकि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद

8 (1969) 3 एससीसी 56

9 9 (1975) 1 एस. सी. सी. 843 द गौहाटी हाई कोर्ट थ्रू द रेजिस्ट्रार जनरल v. गोटो ई. टी. ई. और ओ. आर. एस. [ए. के. सिकरी, जे.]

न्यायाधीश राज्यपाल जिला न्यायाधीशों पर नियंत्रण तब तक बनाए रखेंगे जब तक कि पुष्टि नहीं हो जाती कि जिला न्यायाधीशों का दोहरा नियंत्रण होगा। उस मामले में उच्च न्यायालय का पुष्टि किए गए जिला न्यायाधीशों पर नियंत्रण होगा और राज्यपाल का अपुष्ट पर नियंत्रण होगा।

जिला न्यायाधीश। यह अनुच्छेद 235 नहीं है। 50. समशेर सिंह बनाम में हाल के निर्णय में। पंजाब राज्य इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 235 के तहत उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायपालिका पर नियंत्रण के साथ निहित है। इस न्यायालय ने कहा कि परिवीक्षाधीन की पुष्टि होने से पहले संबंधित प्राधिकारी इस बात पर विचार करने के लिए बाध्य है कि परिवीक्षाधीन का काम संतोषजनक है या वह पद के लिए उपयुक्त है। इस संबंध में परिवीक्षाधीन को नियंत्रित करने वाले किसी भी नियम के अभाव में प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर आ सकता है कि नौकरी के लिए अपर्याप्तता या किसी भी स्वभाव या अन्य उद्देश्य के लिए जिसमें नैतिक अधमता शामिल नहीं है, परिवीक्षाधीन नौकरी के लिए अनुपयुक्त है और इसलिए उसे छुट्टी दी जानी चाहिए। इसमें कोई सजा शामिल नहीं है। किसी पद के लिए किसी व्यक्ति की उपयुक्तता पर विचार करना सर्वोपरि है।

पुष्टि का सवाल "।

इस प्रकार, नियंत्रण उच्च न्यायालय के पास निहित है।

29. हमारी यह भी राय है कि खंड पीठ ने विवादित फैसले में प्रारंभिक भर्ती प्रक्रिया को अनुचित विश्वास दिया है जिसमें रिट याचिकाकर्ताओं का चयन किया गया था।

अभिनिर्धारित किया कि उनकी भर्ती के समय लिखित परीक्षा और साक्षात्कार आयोजित किए गए थे जिसके अनुसार रिट याचिकाकर्ताओं का चयन किया गया था। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि उक्त प्रक्रिया एक सीमित उद्देश्य के लिए नियुक्ति के लिए थी और वह भी अनुबंध के आधार पर और यदि ऐसा था, तो 2006 के नियमों के नियम 7 के प्रावधान में विशेष रूप से इस आशय का प्रावधान किया गया होता, जो नहीं किया गया था। इस तरह की नियुक्ति, आम तौर पर, नियमितीकरण का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती है। 30. विवादित निर्णय भी इस बात को उचित परिप्रेक्ष्य में नहीं देखता है कि चूंकि रिट याचिकाकर्ताओं ने इसके लिए काम किया था

लगभग दस वर्ष, तदर्थ न्यायाधीशों के रूप में, और चूंकि यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं था कि वे निर्वहन में अक्षम या भ्रष्ट थे उनके न्यायिक कार्य, उन्हें नियमित संवर्ग में समाहित किया जाना चाहिए था। यह दोहराने की कीमत पर कहा गया है कि उनके सेवा रिकॉर्ड थे

तीन उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की समिति द्वारा जांच की गई और उक्त जांच पर समिति की राय थी कि रिट [2018] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

याचिकाकर्ता उच्च न्यायिक सेवा के नियमित संवर्ग में नियुक्ति के हकदार नहीं थे। रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा उनके मामलों पर विचार करने और अस्वीकार करने के तरीके को या इस तरह के विचार को किसी भी प्रकार के दोष से पीड़ित होने को कोई चुनौती नहीं दी गई थी। अन्यथा भी समिति के इस तरह के निर्णय की पुष्टि होती है

जैसे किः

(i) दो रिट याचिकाकर्ता जो ग्रेड-I जिला और सत्र के पद के लिए एक विज्ञापन के अनुसार परीक्षा में उपस्थित हुए थे।

न्यायाधीश चयन प्रक्रिया में अर्हता प्राप्त करने में विफल रहे और तीसरा रिट याचिकाकर्ता बिल्कुल भी उपस्थित नहीं हुआ; और

((ii) याचिकाकर्ता उस परीक्षा को उत्तीर्ण करने में भी विफल रहे जो बृज मोहन लाल (2) के अनुसार आयोजित की गई थी जिसमें रिट याचिकाकर्ता उपस्थित हुए थे। इस तथ्य का उल्लेख केवल रिट याचिकाकर्ताओं की अक्षमता को इंगित करने के लिए किया गया है। अन्यथा, हमारा निर्णय नियम 7 के परंतुक के विश्लेषण पर आधारित है।

31. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस बात पर चर्चा करना भी आवश्यक नहीं है कि बृज मोहन लाल (2) का अनुपात लागू होता है या नहीं। हालांकि,

यह कहना पर्याप्त है कि इस न्यायालय द्वारा महेश चंद्र वर्मा के मामले में बृज मोहन लाल (2) के अनुपात पर विस्तार से चर्चा की गई है और वहां भी न्यायालय की राय थी कि नियमित संवर्ग पर नियुक्ति केवल लिखित परीक्षा आदि के आधार पर की जानी चाहिए जैसा कि बृज मोहन लाल (2) में निर्धारित किया गया है। हम फिर से स्पष्ट करते हैं कि, किसी भी मामले में, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि 2006 के नियम 7 के प्रावधान के संदर्भ में भी रिट याचिकाकर्ताओं के मामलों पर विचार किया गया था, लेकिन उन्हें नियमित संवर्ग में शामिल करने के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया था।

32. नतीजतन, यह अपील सफल हो जाती है और इस तरह विवादित फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है।

कोई लागत नहीं।

अपील की अनुमति दी गई।

अंकित ज्ञान